

डिक्री बमुकदमें इक्दाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.  
राजस्व वाद संख्या: 147/2021 दायर दिनांक 16.07.2021

## वादी

1. पूर्णाराम पुत्र भागीरथराम  
जाति कुम्हार निवासी  
मौलासर, तहसील- डीडवाना,  
जिला-नागौर, राजस्थान।

## प्रतिवादीगण

1. कानाराम पुत्र भागीरथराम
2. मानाराम पुत्र भागीरथराम
3. गोविन्दराम पुत्र भागीरथराम
4. हीराराम पुत्र नारायणराम समस्त जाति  
कुम्हार निवासीगण मौलासर तहसील  
डीडवाना जिला नागौर
5. मदनलाल पुत्र हरलाल जाति राईका  
निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला  
नागौर।
6. मैनेजर यूबी आई शाखा मौलासर
7. मैनेजर आई ओ बी शाखा मौलासर
8. तहसीलदार मौलासर।

## बनाम्

## दावा बाबत


घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा-88, 53 R.T.Act.

दिनांक 17.06.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुदई श्री हीरसिंह बलारा, रणजीत बलारा वकील वादी व श्री कमलेश कुमार एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 1333 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 1334 रकबा 0.01 हैक्टे0, गैरमुमकिन कुआ, खसरा सं0 1335 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 1336 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 1337 रकबा 0.0100 गैर मुमकिन ट्युबवेल, खसरा सं0 1338 रकबा 6.1600 हैक्टे0 कुल 6.2400 हैक्टे0 तथा खेत खसरा सं0 1328 रकबा 1.57 हैक्टे0 वाकै सरहद मौलासर की भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1154 दिनांक 09.06.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1154 दिनांक 09.06.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....  
.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 17.06.2022 को सरे इजलास जारी की गयी।

  
सहायक कलक्टर  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना  
डीडवाना (नागौर)



	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

  
 सहायक कलेक्टर  
 डीडवाना  
 डीडवाना (नागौर)

**न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना**

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 147/2021

दायर दिनांक 16.07.2021

**वादी**  
पूर्णाशराम पुत्र भागीरथराम  
जाति कुम्हार निवासी  
मौलासर, तहसील- डीडवाना,  
जिला-नागौर, राजस्थान।

**बनाम्**

**प्रतिवादीगण**

1. कानाराम पुत्र भागीरथराम
2. मानाराम पुत्र भागीरथराम
3. गोविन्दराम पुत्र भागीरथराम
4. हीराराम पुत्र नारायणराम समस्त जाति कुम्हार निवासीगण मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर
5. मदनलाल पुत्र हरलाल जाति राईका निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर।
6. मैनेजर यूबी आई शाखा मौलासर
7. मैनेजर आई ओ बी शाखा मौलासर
8. तहसीलदार मौलासर।

**घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरुस्ती, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188**

**उपस्थित:-**

1. श्री हीरसिंह बलारा, रणजीत बलारा वकील वादी की और से।
2. श्री कमलेश कुमार एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04 की और से।


--: **निर्णय** ::--

दिनांक 17.06.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि खेत खसरा सं० 1333 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खसरा सं० 1334 रकबा 0.01 हैक्टे०, गैरमुमकिन कुआ, खसरा सं० 1335 रकबा 0.0200 हैक्टे०, खसरा सं० 1336 रकबा 0.0300 हैक्टे०, खसरा सं० 1337 रकबा 0.0100 गैर मुमकिन ट्युबवैल, खसरा सं० 1338 रकबा 6.1600 हैक्टे० कुल 6.2400 हैक्टे० वाकै मौलासर की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के नाम से वर्तमान जमाबन्दी में वर्णितानुसार दर्ज है। तथा खेत खसरा सं० 1328 रकबा 1.57 हैक्टे० मौलासर की खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 4 के नाम से दर्ज है। जमाबन्दी की नकले वाद के साथ पेश है।

भूमि में वादी व प्रतिवादी के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 08.03.2022 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।


तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 1154 दिनांक 09.06.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1154 दिनांक 09.06.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

  
**सहायक कलक्टर**  
**डीडवाना (नागौर)**

—: आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं० 1333 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खसरा सं० 1334 रकबा 0.01 हैक्टे०, गैरमुमकिन कुआ, खसरा सं० 1335 रकबा 0.0200 हैक्टे०, खसरा सं० 1336 रकबा 0.0300 हैक्टे०, खसरा सं० 1337 रकबा 0.0100 गैर मुमकिन द्युबवैल, खसरा सं० 1338 रकबा 6.1600 हैक्टे० कुल 6.2400 हैक्टे० तथा खेत खसरा सं० 1328 रकबा 1.57 हैक्टे० वाकै सरहद मौलासर की भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1154 दिनांक 09.06.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार कारतकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1154 दिनांक 09.06.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

  
(कार्तिकेय कीर्ण) **सहायक कलेक्टर**  
R.A.S. **डीडवाना (नागौर)**  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को सरे इजलास सुनाया

गया।

  
(कार्तिकेय कीर्ण)  
**सहायक कलेक्टर**  
R.A.S. **डीडवाना (नागौर)**  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना